

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2015/कार्तिक 28, 1937

No. 309]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2015/KARTIKA 28, 1937

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2015

फा. सं.19022/11/2015-VI (E) : जबकि भारत के लोगों ने, भारत के समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा में इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया;

और जबकि, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूपण समिति ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान कीं तथा राष्ट्र आधुनिक भारत के निर्माण में डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के योगदान का सम्मान करते हुए उनकी 125वीं वर्षगांठ मना रहा है;

अतः अब नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने प्रति वर्ष 26 नवम्बर को **"संविधान दिवस"** के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है।

बी. एल. मीना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**(Department of Social Justice and Empowerment)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th November, 2015

F. No. 19022/11/2015-VI (E).— Whereas the people of India, having solemnly resolved to secure to all its citizens Justice, Liberty, Equality and to promote Fraternity among all, adopted, enacted and gave to themselves the Constitution of India in the Constituent Assembly on the 26th day of November, 1949 ;

And whereas the Drafting Committee of the Constituent Assembly, under the Chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar, provided its invaluable services in drafting the Constitution of India and the nation is celebrating the One Hundred and Twenty-fifth Birth Anniversary of Dr. B.R. Ambedkar in recognition of his contribution to building modern India;

Now, therefore, the Government of India has decided to celebrate the 26th day of the November of every year as the "**CONSTITUTION DAY**" to promote constitutional values among citizens.

B.L. MEENA, Jt. Secy.